



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: 2468 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2011-30-मा०सं०प्र०-02/2002

दिनांक : 5 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मियों को नियत वेतन अनुमन्य किये जाने विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1380-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2006-30-मा०सं०प्र०-02/2002, दिनांक 19.06.2006 के अनुक्रम में अंशकालिक सफाई कर्मियों की वेतन वृद्धि विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 206-वे०प्र०-30/पाकालि/2008, दिनांक 11.04.2008 एवं सं०: 608-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011, दिनांक 30.06.2011 को एतद्वारा निदेशक मण्डल के कार्यालय अनुमोदन की प्रत्याशा में अंगीकार किया जाता है।

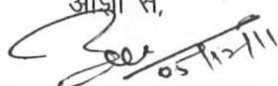
2- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०: 2468 -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2011, तददिनांक : 5-12-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/तकनीकी/वित्त, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।
- (4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (10) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) उप सचिव/अधिशाली अभियन्ता, मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) कट फाइल ।

आज्ञा से,

 (मुहम्मद इसलाम)
 अनु सचिव(02)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 608 - काविनी एवं वे०प्र०- 29 / पाकालि / 2011 - 8 वे०प्र० (30) / 03 दिनांक 30 जून, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मियों को नियत वेतन अनुमन्य किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 206-वे०प्र०(30)/पाकालि/08-01 वे०प्र० (30)/06 दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा उनके नियत किये गये वेतन रु० 1,000/- (रुपया एक हजार मात्र) में निदेशक मण्डल के कार्यान्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में रु० 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) की वृद्धि, इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि कारपोरेशन में कार्यरत उक्त श्रेणी के कर्मियों का नियत वेतन किसी भी दशा में रु० 1,500/- (रुपये एक हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 608 - काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।
- 2- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 7- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
- 10- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
- 12- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(कमश.....)

- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 18- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 19- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से



(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
 शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्र सं०-206-वे०प्र०(30)/पाकालि/०८-०१ वे०प्र०(30)/०६ दिनांक 11 अप्रैल ०८

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक स्फाई कर्मियों को नियत वेतन अनुमन्य किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 77-वे०प्र०(30)/पाकालि/2006-०१ वे०प्र०(30)/2006 दिनांक 04.03.2006 द्वारा उनके नियत किये गये वेतन में, रु० 400/- (रु० चार सौ मात्र) की वृद्धि तत्काल प्रभाव से इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि कारपोरेशन में कार्यरत उक्त श्रेणी के कर्मियों का नियत वेतन किसी भी दशा में रु० 1000/- (रुपए एक हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

पत्र सं०-206-(1)-वे०प्र०(30)/पाकालि/०८ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कंस्कॉ कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० आगरा।
6. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियंता स्तर (I एवं II)/अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. सचिव यू० पी० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)